

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2022

बउनवान

1. सुन्दर बाई आयु 51 वर्ष पत्नि स्व० मथुरा लाल
2. पूजा बाई आयु 28 वर्ष पुत्री स्व० मथुरा लाल
3. रोशन बाई आयु 24 वर्ष पुत्री स्व० मथुरा लाल
4. समोला बाई आयु 21 वर्ष पुत्री स्व० मथुरा लाल
5. ममता कुमारी आयु 18 वर्ष पुत्री स्व० मथुरा लाल, जातिगण बंजारा, निवासीगण ग्राम बडगांव, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज०)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. कालू लाल पुत्र स्व० मथुरा लाल
2. पृथ्वीराज पुत्र स्व० मथुरा लाल
3. पप्पू लाल पुत्र स्व० मथुरा लाल
4. रामप्यारी पुत्री स्व० मथुरा लाल
5. ज्याना बाई पत्नि स्व० मथुरा लाल, जातिगण बंजारा, निवासीगण बडगांव, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज०)
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज०)

(रिस्पोंडेंट्स)

अपील विरुद्ध नामा. संख्या 1600 आदेश दिनांक 31.08.2020 स्वीकृत दिनांक 15.09.2020

तहसीलदार अन्ता, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :- 1. श्री जितेन्द्र नागर एडवोकेट

(अपीलांटगण)

निर्णय दिनांक 28.12.2022

अपीलांटगण की ओर से जयें अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्रा बडगांव, पटवार हल्का बडगांव में आराजियात खाता संख्या 336 पुराना 318 में वर्णित खसरा नं० 1223 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 1944 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नंबर 2007 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नंबर 2013 रकबा 0.28 हेक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.25 हेक्टर अपीलान्ट्स के पिता/पति श्री मथुरा लाल पुत्र श्री मांगी लाल जाति बंजारा निवासी बडगांव के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पों क्रमांक 1 ता 5 के पति/पिता मथुरा लाल पुत्र श्री मांगी लाल जाति बंजारा निवासी बडगांव तहसील अन्ता के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वर्तमान खाता संख्या 194 पुराना 195 में वर्णित खसरा नं० 1309 रकबा 0.45 हेक्टर, खसरा नं० 2135 रकबा 0.84 हेक्टर, खसरा नं० 2136 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 2137 रकबा 1.09 हेक्टर, खसरा नं. 2144 रकबा 0.64 हेक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 3.32 हेक्टर वाके बडगांव हसील अन्ता जिला बारां में स्थित है रेस्पों क्रम 1 ता 5 के पिता श्री मथुरा लाल का स्वर्गवास दिनांक 26.12.2018 को हो चुका था बाद मृत्यु रेस्पों क्रमांक 2 द्वारा अपने पिता के खातेदारी में दर्ज आराजियात का इन्तकाल खुलवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.7.2020 को रेस्पों क्रमांक 6 के समक्ष पेश किया। उक्त वर्णित प्रार्थना पत्र में रेस्पों क्रमांक 2 द्वारा आराजियात का विवरण नहीं दिया। इस कारण अधिनस्थ



जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा रेस्पो0 क्रमांक 2 के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलान्ट के पति/पिता के खातेदारी की आराजियात वर्णित मद नं0 1 का इन्तकाल संख्या 1600 दिनांक 31.8.2020 स्वीकृति कर दिनांक 15.9.2020 को रेस्पो0 क्रमांक 1 ता 5 को खोल दिया गया। क्योंकि अपीलान्ट क्रमांक 1 ता 5 व रेस्पो0 क्रमांक 1 ता 5 के पिता का नाम व पिता का नाम व जाति व गांव समान था। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट क्रमांक 1 ता 5 के खातेदारी की आराजी वर्णित मद नं0 1 से सम्बन्धित खोला गया इन्तकाल अवैध व विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट के पति/पिता का स्वर्गवास दिनांक 8.11.2021 को स्वर्गवास हुआ है। यह कि अपीलान्टस के पति/पिता मथुरा लाल जी की मृत्यु दिनांक 8.11.2021 को होने के उपरान्त अपीलान्ट अपील की मद नं0 1 में अंकित आराजियात का इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो जानकारी में आया कि अपीलान्ट के पति/पिता के खातेदारी की आराजियात का इन्तकाल रेस्पो0 क्रमांक 1 ता 5 के नाम दिनांक 31.8.2020 को खुल चुका है। जबकि अपीलान्ट के पति/पिता के मृत्यु दिनांक 8.11.2021 को हुई है। इसलिये न्यायहित में अपीलान्ट के पति/पिता के खातेदारी की आराजी वर्णित मद नं0 1 से संबंधित खोला गया इन्तकाल संख्या 1600 दिनांक 31.8.2020 को निरस्त किया जाकर उक्त इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया रेस्पो0 क्रमांक 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट किया जाकर अपील की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम खोला जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 क्रमांक 1 ता 5 के नाम खोला गया इन्तकाल नं0 1600 दिनांक 31.8.2020 स्वीकृत दिनांक 15.9.2020 निरस्त किया जाकर आराजियात खाता संख्या 336 पुराना 318 में वर्णित खसरा नं0 1223 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नं0 1320 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नं0 1944 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं0 2007 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 2013 रकबा 0.28 हेक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा हेक्टर वाके ग्राम बडगांव तहसील अन्ता जिला बारां का इन्तकाल अपीलान्टस के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्टस क्रम 1 ता 5 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि इन्तकाल क्रमांक 1600 दिनांक 31.08.2020 में सहवन से प्रार्थीगण का नाम अंकित हो गया जो कि गलत अंकित हुआ है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बडगांव की आराजी खाता संख्या नया 336 पुराना 318 में वर्णित खसरा नं0 1223 रकबा 0.15 हेक्टर, खसरा नंबर 1320 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नंबर 1944 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नंबर 2007 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नंबर 2013 रकबा 0.28 हेक्टर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.25 हेक्टर अपीलान्टस के पिता/पति के खाते एवं कब्जे काशत की आराजीयात है। रेस्पोडेन्टगण के पिता/पति एवं अपीलांटगण के पिता/पति का नाम, पिता का नाम, जाति एवं निवास स्थान एक जैसा होने के कारण अपीलांटगण के पिता/पति की आराजीयात का नामां. रेस्पोडेन्टगण के नाम सहवन से दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्टगण के पिता/पति की आराजी खाता संख्या 194 पुराना 195 में वर्णित खसरा नं0 1309 रकबा 0.45

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)



हेक्टर, खसरा नं0 2135 रकबा 0.84 हेक्टर, खसरा नं0 2136 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नं. 2137 रकबा 1.09 हेक्टर, खसरा नं. 2144 रकबा 0.64 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.32 हेक्टर है। रेस्पोजेन्टगण ने भी स्वयं उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि अपीलान्तगण की अपील स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमावें।

दौराने बहस उपस्थित रेस्पोजेन्टगण ने अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।


सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्तगण एवं रेस्पोजेन्ट कम 1 ता 5 के पिता/पति का नाम, उनके पिता का नाम, जाति एवं निवास स्थान एक जैसा होने के कारण सहवन से अपीलान्तगण के पति/पिता के खाते की आराजीयात पर अपीलान्तगण के स्थान पर रेस्पोजेन्टगण का नाम दर्ज हो गया है जिसकी स्वीकारोक्ति रेस्पोजेन्टगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में करते हुए अपील अपीलान्तगण स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्तगण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर ग्राम बड़गांव का नामान्तकरण संख्या 1600 दिनांक 31.08.2020 स्वीकृत दिनांक 15.09.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अन्ता को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक मथुरालाल के वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नजिलत अलिकटर
जिला कलेक्टर बारा)